निर्धारित दंड के स्वरूप को युक्तिसंगत बनाया गया है, तथा गंभीर अपराधों आदि में संक्षिप्त अपराधियों को जमानत देने संबंधी उपबंधों को कठोर बनाया गया है।

(ग) राज्य सभा ने दिनांक 22.7.98 की अपनी बैठक के दौरान विस्तृत जांच हेतु इसे स्थायी समिति को भेजने के सुझाव के साथ संशोधन विधेयक को अध्यक्ष, राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) इस विधेयक में एन. डी. पी. एस. की किसी भी धारा को हटाने का प्रस्ताव नहीं है।

Income Tax offenders related to securities scam

4515. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1446 given in the Rajya Sabha on 9th June, 1998 and state:

(a) whether it is a fact that some of the 13 Income Tex assessees mentioned are related to the Securities scam;

(b) If so, who are they; and

(c) what action has been taken to attach their properties to recover the outstanding dues from these 13 persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Income Tax assessees related to securities scam are as follows:—

(i) Harshad S. Mehta
(ii) Hiten P. Dalai
(iii) B. C. Dalai
(iv) Ashwin S. Mehta
(v) S. Ramaswamy
(vi) Jyoti H. Mehta
(vii) A. D. Narottam
(viii) Harshad S. Mehta (W.T.)
(ix) Bimal S. Gandhi

(c) All properties, movable or immov able, stand attached by the Custodian appointed by the Special Court under the Special Court (TORTS) Act, 1992. The disbursement from the attached assets is made under the provisions of the Special Court (TORTS) Act, 1992 by the Special Court.

कुरेभार में राष्ट्रीयकृत बैंक की नई शाखा

4516. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुलतानपुर जिले के कुरेभार नगर में वहां वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक में उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक की एक नई शाखा को खोलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार कुरेभार खाताधारकों को सुविधाएं किस तरीके से उपलब्ध करायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जर्नादनम): (क) से (ग) मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंक तभी नई शाखा खोलने का निर्णय लेते हैं जब उनके विचार से जहां पर्याप्त व्यवसाय मौजूदा हो और शाखा अर्थक्षम हो या फिर ग्रामीण ऋण के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की योजना का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए वहां ऐसी शाखा खोलना आवश्यक हो। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अपनी शाखाएं खोलते हैं। आर बी आई ने सूचित किया है कि जिला सुलतानपुर उत्तर प्रदेश में कुरेभार केन्द्र में इस समय भारतीय स्टेट बैंक की और सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक एक शाखा कार्यरत है। सुलतानपुर जिला सहकारी बैंक की एक शाखा भी इस केन्द्र में कार्य कर रही है। आर बी आई को किसी भी राष्टीयकृत बैंक की ओर से कुरेभार में अतिरिक्त शाखा खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का कमप्यूटरीकरण

4517. **श्रीमती मालती शर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की फाउंटेन और चांदनी चौक शाखाओं का अभी तक कम्प्युटरीकरण नही किया गया है तथा वहां पर गणक मशीनें भी नहीं लगाई गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इन शाखाओं का कब तक कम्प्यूटरीकरण करने और इनमें गणक मशीनें लगाने का विचार है ताकि दुकानदार

मासिक विवरण प्राप्त कर सकें और इन शाखाओं की कार्य कुशलता भी सुधारी जा सके।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जर्नादनम): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनकी चांदनी चौक शाखा पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत है। तथापि, फाउन्टेन शाखा अभी कम्प्यूटरीकृत नहीं है। एटीएम को दिरयागंज में लगाने का प्रस्ताव है जो चांदनी चौक तथा फाउन्टेन दोनों शाखाओं के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(**ख**) चांदनी चौक शाखा में दुकानदारों के खातों के लिए कम्प्यूटरीकृत मासिक विवरण उपलब्ध है। बैंक की दरियागंज (वैयक्तिक बैंकिंग शाखा) में एटीएम स्थापित करने की योजना है जो आस पास के क्षेत्रों के ग्राहकों की आवश्यकता भी पूरी करेगी।

Loaning Policy of Agricultural Banks

4518. SHRI W. ANGOU §INGH: Will tiie Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of loaning policy of agricultural banks simplified by government for the North-East region; and

(b) the maximum credit limit of loan to the farmers which has been provided for agricultural purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (b) As reported by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), several steps have been taken by them for improving the flow of credit in the North-Eastern (NE) region. These include, *inter-alia.*

(i) Extension of refinance facilities to commercial banks in the region by NABARD for financing their agriculture and rural development activities;

(ii) Providing refinance to all financing agencies, including commercial banks, to the extent of 90% of the bank loan as against 40-70% available in the rest of the country;

(iii) Fixing of norm relating to minimum recovery level for drawing unrestricted refinance from NABARD under schematic lending at 50% for the North-Eastern region as against 60% stipulated for other parts of the country;

(iv) Sanctioning of Short Term Credit limits to banks in the North-Eastern Region by relaxing the minimum recovery norms and reducing their own involvement;

(v) Charging of interest at the minimum rate of 4% for banks in the region irrespective of their level of dependence on Short Term (Seasonal Agricultural Operations) refinance from NABARD;

(vi) Providing refinance facilities to banks for financing vehicles used for transportation of both passengers and goods under the relevant schemes, considering the hilly terrain and inadequate transport facilities in the region.

NABARD has not prescribed any maximum credit limit of loan to be given to the farmers. The farmers are eligible to avail loans from banks depending upon the purpose for which the loans are availed. Marginal/Small, medium and other farmers have to contribute 5%, 10% and 15% respectively as margin money and the remaining portion is given as loan, where subsidy is available from the Government, the subsidy is considered as margin money of the farmers.

Impact of sanctions of G-8 countries on IMF Loans

4519. SHRI S. PETgk ALPHONSE: Will the Minister of FINANCE be please to state:

(a) whether Government of India has estimated the actual cost of economic sanctions imposed by G-8 countries;

(b) if so, whether Government have made any alternative arrangements for the damage; and

(c) whether soft loan packages by IMF would also be delayed because of the G-8 member countries in IMF?